भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०–16/2017–18

आदेश की तिथि	आदेश	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
11·9·17	आवेदक श्री/श्रीमती **मनसा भूमिज** पिता/पति **स्व0 काला भूमिज**, ग्राम – **सिलफोड़ी**, पोस्ट – **जामदी**, थाना – **चक्रधरपुर**, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है । खतियानी जमीन मौजा– **सिलफोड़ी, जन्तालबेड़ा**, थाना नं० **–97**, खाता नं०– **271**, प्लॉट नं०– **928**, रकवा– **0.15ए0**, क्रेता श्री/श्रीमती–**मुकेश कुमारा जोंको, पिता/पति–स्व0 लोसो जोंको**, ग्राम **–कोमाय**, पोस्ट– **चिरूबेड़ा**, थाना – **चक्रधरपुर**, जिला प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते है। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इश्तेहार किया गया। अंचल अधिकारी, **चक्रधरपुर** से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक/आवेदिका – **मनसा भूमिज**, पिता– **स्व0 काला भूमिज**, के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास 45,000/–**(पैंतालीस हजार)** रूपये में बेचना चाहते है। प्रश्नगत भूमि हाल सर्वे खतियान में सुखलाल भूमिज, पान्डु भूमिज, पोटो भूमिज तथा पुतो भूमिज, पिता–वान्दया भूमिज **एवं अन्य के नाम पर दर्ज है**। विक्रेता से उनका संबंध – **दादा–पौत्र** का है। जमाबन्दी पंजी ।। में खतियानी रैयत के नाम लगान कायम है। आम इश्तहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आज तक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है। विक्रेता एवं क्रेता अंचल एवं थाना– **चक्रधरपुर** के निवासी है तथा **"हो" (अ0ज0जाति०)** समुदाय के सदस्य है। विक्रेता उक्त वर्णित भूमि निजी कार्य हेतु बेचना चाहते है। प्रश्नगत भूमि के बिक्री के पश्चात विक्रेता को जीविकोपार्जन हेतु रकवा –11..19ए0 भूमि अवशेष के रूप में बचती है। अंचल अधिकारी, **चक्रधरपुर** के पत्रांक 746, दिनांक 05.09.2017 द्वारा उक्त भूमि का बिक्री हेतु अनुशंसा किया गया है। अंचल अधिकारी, **चक्रधरपुर** द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन क्रेता श्री/श्रीमती – **मुकेश कुमारा जोंको, पिता/पति–स्व0 लोसो जोंको**, ग्राम **–कोमाय**, पोस्ट– **चिरूबेड़ा**, थाना–**चक्रधरपुर**, जिला प० सिंहभूम के पक्ष में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(i)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत उक्त भूमि हस्तांतरण करने की **स्वीकृति** दी जाती है। लेखापित (हस्ताक्षर) 11·9·17 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोडाहाट, चक्रधरपुर (हस्ताक्षर) 11·9·17 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोडाहाट, चक्रधरपुर	

Corres Letter.